

राजस्थान सरकार


वाय्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीम
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

118/25

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाली पुरखणी" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी का. घ. ख. ली. ... व भू.अ.नि. का. घ. ख. ली.
 के रिपोर्ट तथा तहसीलदार / गा.स. तहसीलदार की अनुशंसा के आशय पर राजस्थान
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तलाई तहसील श्रीम. व जिला राजसमन्द
 के लनाकरी सम्बन्ध में खाता संख्या 218, 219 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि के निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	तलाई	218 219	बाबू सिंह डा. निम्बू सिंह दिसा - 1/5 रापत	बाबू सिंह डा. निम्बू सिंह रापत



 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
 जिला-राजसमन्द

दिनांक :-

क्रमांक :- 118/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्रीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवाये। को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
 जिला-राजसमन्द